दिनांक 05.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 07/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चैत्र रामनवमी पर्व के दृष्टिगत प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को चैत्र रामनवमी के अवसर पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- चैत्र नवरात्र के अवसर पर कमिश्नरेट एवं जनपदों के प्रसिद्ध देवी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा के मद्देनजर मंदिरों के व्यवस्थापकों से पूर्व से ही सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार मुख्यद्वार पर प्रवेश नियन्त्रण एवं एण्टीसोबोटॉज चेकिंग की व्यवस्था की जाय तथा पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मियों की ड्यिूटी लगायी जाये एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति पूर्व से ही ब्रीफ कर दिया जाये। जुलूस व शोभा यात्रा के साथ बाक्स फार्मेट में पुलिस कर्मियों की ड्यिूटी लगायी जाये।
- जनपद अयोध्या में अत्यधिक भीड़ की सम्भावना के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवगमन हेतु बैरिकेटिंग एवं पार्किंग की व्यवस्था पूर्व से करा ली जाये तथा सभी धार्मिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त थाना क्षेत्रों में उक्त त्यौहार के दृष्टिगत TROUBLE SPOTS चिन्हित किये जायें तथा प्रत्येक TROUBLE SPOTS पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर समस्याओं का समय से समाधान करा लिया जाये।
- पुलिस प्रबन्ध करते समय विगत वर्षों की संवेदनशीलता का आंकलन के साथ–साथ वर्तमान परिवेश की संवेदनशीलता का समावेश भी अवश्य किया जाए तथा पुलिस प्रबंध एवं व्यवस्थापन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाये।
- शान्ति समितियों, कार्यक्रम आयोजकों व धर्मगुरुओं की बैठकें वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में सम्पादित की जायें। सभी अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारीगण एवं अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठकें करके त्यौहार के निर्वाध निष्पादन हेतु समन्वित कार्यवाही कराते हुये मंदिरों के आस–पास साफ–सफाई, प्रकाश, बिजली आदि की

व्यवस्था करा ली जाये। किसी भी प्रकार की नई परम्परा शुरु करने हेतु अनुमति कदापि न दी जाये।

- सभी थानों के त्यौहार रजिस्टरों तथा आसूचना आख्याओं का परिशीलन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर सूक्ष्मता से कर लिया जाये तथा यह देख लिया जाये कि विगत के वर्षों में इस त्यौहार को लेकर कहीं कोई समस्या तनाव आदि उत्पन्न तो नहीं हुआ था। यदि इस त्यौहार को लेकर इस वर्ष कोई समस्या तनाव दृष्टिगोचर हो तो उसका समाधान समय रहते करा लिया जाये।
- जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण मंदिरों, मेला स्थलों, जुलूस एवं शोभा यात्राओं के मार्गों सहित सभी संवेदनशील स्थानों का संयुक्त भ्रमण किया जाये, यदि कहीं कोई बाधा हो तो उसका निराकरण समय से कराया जाए।
- दंगा नियंत्रण योजना का पुनः अभ्यास करा लिया जाये और संबंधित उपकरणों का निरीक्षण कर उन्हें तैयारी की हालत में रखा जाये तथा सभी कर्मचारियों की एण्टी राइट इक्यूपमेंट के साथ ड्यूटी लगायी जाये।
- शरारती एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- यूपी–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो व स्थलों पर किया जाये तथा अन्य पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त एवं पेट्रोलिंग करायी जाये।
- श्रद्धालुओं द्वारा नदी व जलाशयों में स्नान के दृष्टिगत घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाये तथा आवश्यकतानुसार नाव एवं गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर आपात चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर चिकित्सीय टीम की व्यवस्था की जाये।
- अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन एवं अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरों, वीडियोंग्राफी टीम एवं ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जाये।
- रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टेशनों पर भीड़ के आवागमन के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाय, आवश्यकतानुसार चेकिंग, फ्रिस्किंग, डॉग स्क्वाड, एण्टी सोबोटॉज तथा बम डिस्पोजल स्क्वायड की व्यवस्था की जाय।
- वाहनों की पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था तथा यातायात के सुगम संचालन हेतु रूट डायवर्जन की व्यवस्था की जाये।

- समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय रखा जाये तथा उनके दायित्वों से भली–भॉति अवगत कराकर उन्हें प्रातः काल नियमित रूप से चेकिंग हेतु रवाना किया जाये।
- आसूचना तंत्र को सक्रिय रखते हुये प्राप्त होने वाली छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निरन्तर मॉनिटरिंग करते हुये प्रसारित होने वाले आपत्तिजनक पोस्ट एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा पुलिस मुख्यालय में स्थापित सोशल मीडिया सेल से निरन्तर समन्वय बनाये रखा जाये।

दिनांक 05.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 08/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय में ई–साक्ष्य, ई–समन एवं एन0आई0सी0 द्वारा विकसित अन्य ऐप व पोर्टल के सम्बंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के त्वरित व पारदर्शी न्याय को वैज्ञानिक संसाधनों से समृद्ध कर आम जन तक पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में आज दिनांकः 05.04.2025 को पुलिस मुख्यालय स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में ई–साक्ष्य, ई–समन एवं एन0आई0सी0 द्वारा विकसित अन्य ऐप व पोर्टल के सम्बंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक/महानिदेशक के जीएसओ सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा NIC के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित 03 नये आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु ई–समन, ई–साक्ष्य, NCRB द्वारा विकसित संकलन और NIC द्वारा विकसित अन्य डिजिटल एप्लिकेशन्स (न्याय श्रुति, न्याय सेतु, ई–फॉरेन्सिक्स 2.0, ICJS 2.0 इत्यादि) के प्रयोग के सम्बंध में जागरूक किये जाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का प्रारम्भ अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोरा द्वारा किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय एवं कार्यशाला की रूपरेखा से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया।

कार्यशाला तीन नवीन आपराधिक कानूनों पर केंद्रित रही, जिसमें NIC के उपमहानिदेशक (DDG) श्री शशिकांत शर्मा एवं वरिष्ठ निदेशक (IT) श्री दीपक कुमार ने अतिथि व्याख्याता के रूप में तकनीकी सत्रों का संचालन किया ।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपद, कमिश्नरेट्स एवं विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पादित करने वाली इकाईयों से लगभग 230 से अधिक व मुख्यालय स्तर से लगभग 50 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता की गयी। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाना एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर कानून प्रवर्तन की प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना रहा।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में वर्तमान में ई–समन व्यवस्था 05 जनपद एवं कमिश्नरेट्स में पायलट के रूप में प्रचलित है। उ0प्र0 पुलिस ई–समन व्यवस्था को सम्पूर्ण उ0प्र0 में लागू करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है, जिसके दृष्टिगत पूर्व में ऑनलाइन ट्रेनिंग में लगभग 500 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

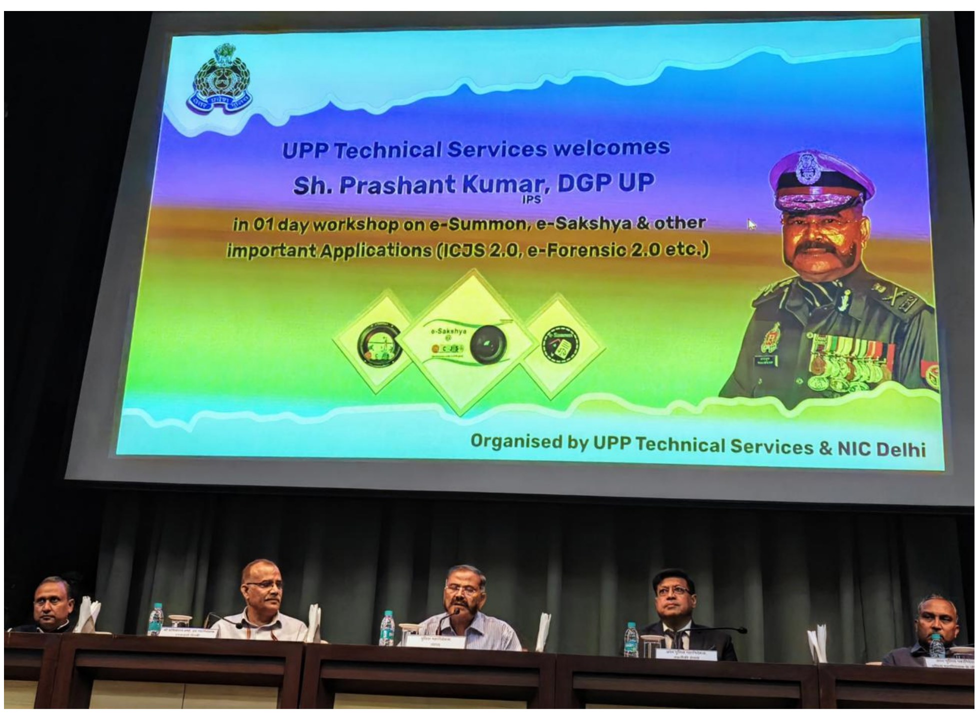

दिनांक 05.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 09/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 महेन्द्रा पिकअप वाहन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 05.04.2025 को थाना पटहेरवा, थाना कोतवाली हाटा, थाना तरयासुजान, थाना तमकुहीराज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महुअवा कट एनएच–27 के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–खुर्शीद घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–पंकज 3–कन्हैया सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 महेन्द्रा पिकअप वाहन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त खुर्शीद थाना कोतवाली पडरौना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त खुर्शीद के विरूद्ध जनपद गोरखपुर, कुशीनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खुर्शीद निवासी जंगल हनुमानगंज सेमरयिॉ सबुनहा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

2–पंकज निवासी खलवा पट्टी तमकुहा थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

3–कन्हैया निवासी धवहिया थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार।

बरामदगी

1–01 महेन्द्रा पिकअप वाहन।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05.04.2025 को थाना लालगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुशियरा जंगल में पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त आशीष कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष कुमार निवासी मचहां (कुशहां) थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हरदोई/थाना पाली

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.04.2025 को थाना पाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहाबाद पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद हरदोई के थाना शाहाबाद पर चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी ग्राम जमूरा थाना मंझिला जनपद हरदोई।

जनपद सहारनपुर/थाना बेहट

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूटे गये 01 टैबलेट, थम्ब मशीन**
- **घटना में प्रयुक्त मोरट साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05.04.2025 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुर्तजापुर नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नौशाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/निशादेही से लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद, लूटे गये 01 टैबलेट, थम्ब मशीन, घटना में प्रयुक्त मोरट साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना बेहट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त बरामद रूपये, टेबलेट, थम्ब मशीन आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– नौशाद निवासी सिकंदरपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 14 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूटे गये 01 टैबलेट, थम्ब मशीन।

3–घटना में प्रयुक्त मोरट साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद महोबा/थाना श्रीनगर/थाना अजनर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 25 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.04.2025 को थाना श्रीनगर, थाना अजनर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र श्रीनगर में चेकिंग के दौरान मोटर

साइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गया घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–देवी चरन सहित गिरफ्तार किया गया तथा इसी क्रम में थाना क्षेत्र अजनर में पुलिस कार्यवाही से अभियुक्त 3–छोटे उर्फ जय घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 4–शंकर व 5–प्रमोद कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 25 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गया के विरूद्ध जनपद महोबा, हमीरपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 39 अभियोग, अभियुक्त छोटे उर्फ जय के विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग व अभियुक्त शंकर के विरूद्ध जनपद महोबा के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना श्रीनगर व थाना अजनर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–गया निवासी मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा।

2–देवी चरन निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा।

3–छोटे उर्फ जय निवासी रूपनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा।

4–शंकर निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा।

5–प्रमोद निवासी ग्राम कैथी थाना राठ जनपद हमीरपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 25 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.04.2025 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सूरजपुर दुगमई नहर के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त वाजिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वाजिद निवासी फकीर टोला थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना करमा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख 40 हजार रूपये कीमत के 82 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनांक 04.04.2025 की रात्रि थाना करमा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करमा गॉव तिराहा के पास से अभियुक्त हरेश रंजन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख 40 हजार रूपये कीमत के 82 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हरेश रंजन निवासी जगन्नाथ कालोनी थाना अईथापाली जनपद सम्बलपुर, उड़ीसा।

बरामदगी

1–लगभग 16 लाख 40 हजार रूपये कीमत के 82 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

- **जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त कृष्णा उर्फ गिरीश को धारा 363/366/376(2)(च) भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।